



UPSI120013882020

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), बिसवाँ, सीतापुर
पीठासीन अधिकारी- (रामेश्वर दयाल), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP02374

मूल वाद संख्या:- 219/2020

सुनील कुमार आदि

बनाम

सलमा बेगम आदि।

दिनांक: 26.08.2020

वाद पत्र मय मुंसरिम आख्या प्रस्तुत हुआ। आख्या का अवलोकन किया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो, प्रतिवादी को समन जारी हो। वाद दिनांक 23.09.2020 को वास्ते लिखित उत्तर व दिनांक 30.09.2020 वास्ते वाद बिंदु पेश हो।

सिविल जज (जू० डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादीगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 6ग2 अन्तर्गत आदेश-39 नियम -1 मय शपथ पत्र 7ग2 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं० 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वादीय भूमि गाटा सं० 299मि० रकबा 0.178 हे० में वादीगण के 1/5 अंश जिसे वादपत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा नजरी अक्षर अ ब स द से प्रदर्शित किया गया स्थित ग्राम सुखावाकला परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर जिसकी चौहद्दी पूरब बिसवाँ से रेउसा जाने वाली सड़क पश्चिम खेत प्रकाश व त्रिभुवन उत्तर चकमार्ग दक्षिण 1/5 अंश भूमि श्यामलाल प्रतिवादी सं० 05 में वादीगण के शांतिपूर्ण स्वामित्व व अधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने व बने निर्माण पर कब्जा करने या किसी अन्य प्रकार से क्षति कारित करने से मना कर दिया जावें।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज सूची 11ग1 में कागज सं० 12ग1 नकल खतौनी व 13ग1 मूलप्रति विक्रय पत्र गाटा सं 299 रकबा 0.178 हे० से सम्बंधित कागजात दाखिल किये गये हैं।

वादीगण द्वारा दाखिल कागजात विवादित भूमि गाटा संख्या 299मि० रकबा 0.178 हे०, स्थित ग्राम सुखावाकला परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर में वादीगण का नाम खतौनी में संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में दर्ज है एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 का विवादित गाटा सं संख्या गाटा संख्या 299मि० रकबा 0.178 हे०, स्थित ग्राम सुखावाकला परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अतः विवादित सम्पत्ति का संरक्षण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यदि उपरोक्त विवादित भूमि संरक्षित नहीं की गई तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी सं० 1 व 2 को विवादित स्थल गाटा संख्या गाटा संख्या 299मि० रकबा 0.178 हे० में वादीगण के 1/5 अंश जिसे वादपत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा नजरी अक्षर अ ब स द ,स्थित ग्राम सुखावाकला परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर, में अस्थाई रूप से निषेधित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण 6ग2 दिनांक 16.09.2020 को पेश हो। प्रतिवादी सं० 1 व 2 को विवादित स्थल गाटा संख्या गाटा संख्या 299मि० रकबा 0.178 हे० में वादीगण के 1/5 अंश जिसे वादपत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा नजरी अक्षर अ ब स द ,स्थित ग्राम सुखावाकला परगना व तहसील बिसवाँ जिला सीतापुर में अग्रिम नियत तिथि तक अस्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह विवादित स्थल में कोई हस्तक्षेप न करें। वादी आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० की पैरवी नियमानुसार करें।

(रामेश्वर दयाल)

सिविल जज (जू०डि०),

बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 8ग-2

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 8ग-2 बाबत कमीशन स्वीकार किया जाता है। न्यायालय अमीन को रिट बाबत कमीशन जारी हो। बाद पैरवी न्यायालय अमीन अपनी आख्या मय मानचित्र नियत तिथि तक प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू० डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।